

**ग्राम पंचायत वोडूसारना, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण  
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017  
भाग –एक**

**1 प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशो के फलस्परुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम –1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या: पीसीएच–एचसी(5)–सी(15)एलएडी / 2006–12669 दिनांक 7–4–16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वोडूसारना विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे ।  
प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमति दर्शना देवी	1–4–14 से 22–1–16
2	श्री कुलवंत सिंह	23–1–16 से 31–3–17

**सचिव**

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री जनम सिंह	01–04–2014 से 31–05–2016
2	श्री महिंद्र सिंह	01–06–2016 से 31–03–17

**ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार**

ग्राम पंचायत वोडूसारना जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में भारी अन्तर अनुदान राशियों का अवरोधन	0.71
2	9	आपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक / स्टोर का क्रय करना	7.20
3	10	आपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक / स्टोर	1.56

## भाग दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत वोडूसारना विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17-11-17 से 21-11-17 तक ग्राम पंचायत वोडूसारना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2015, 03/2016, 06/2016 व 12/2014, 12/2015, 02/2017 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत वोडूसारना विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला-09 को शीघ्रतांशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 83 दिनांक 22-11-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत वोडूसारना से अनुरोध किया गया।

### 4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत वोडूसारना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

#### स्व-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत वोडूसारना के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

#### स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	43056	40734	83790	27620	56170
2015-16	56170	18303	74473	3195	71278
2016-17	71278	68036	139314	9384	129930

#### अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	144015	1038896	1182911	860048	322863
2015-16	322863	891070	1213933	649143	564790
2016-17	564790	1738130	2302920	1583373	719547

दिनांक 31.03.2017 को बैंक मै जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक	अनुदान	राशि
1	20040018502	के.सी.सी.रेत	सभा फण्ड	44724
2	50055630301	के.सी.सी.रेत	S.C.S.P	16062
3	50055630287	के.सी.सी.रेत	NRHM	201
4	50055630209	के.सी.सी.रेत	RGAY	15
5	50055630174	के.सी.सी.रेत	I.A.Y.	00
6	50055630265	के.सी.सी.रेत	T.S.C	33329
7	20040018193	के.सी.सी.रेत	मनरेगा	00
8	20040016729	के.सी.सी.रेत	TSFC	83076
9	50065266963	के.सी.सी.रेत	MMGAY	271
10	50055630243	के.सी.सी.रेत	THFC/FFC	601032
हस्तागत राशि				nil
कुल योग				778710

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तर्शेष में ₹0.71 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत वोडूसारना द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है । जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तर्शेष में ₹70767 का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में पाया गया ।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षांत में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत वोडूसारना में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है । अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

7 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक

माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।

**8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-**

हिं प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखेसकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

**9 अनुदान ₹7.20 लाख का अवरोधन:-**

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक प्राप्त अनुदानों में से ₹719547 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ावती की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

**10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.56 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:-**

हिं प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखेसकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएं अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित करना आदि प्रावधित हैं । चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹155849 के स्टाक/स्टोर का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए बिना किया गया है जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त किया जा सके । इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

**11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-**

हिं प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखेसकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व

रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 स्टाक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर
- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 7 गृह कर बसूली रजिस्टर
- 8 डाक टिकट रजिस्टर
- 9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि ।

## 12 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिं प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

## 13 विविध अनियमितताएः—

- 13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिं प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।
- 13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार, आयकर, विकीकर, लेवर सेस तथा रायलटी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है ।
- 13.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिं प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है । अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
- 14 लघु आपत्ति विवरणिका:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है ।
- 15 निष्कर्ष:— लेखों के रखरखाव में हिं प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ।

हस्ता /—  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं 0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2) 165 / 2017 खण्ड-1-2415-2418 दिनांक  
06.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- 4 सचिव, ग्राम पंचायत वोद्धुसारना विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—  
(ज्ञान चन्द शर्मा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं 0 0177-2620881